

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)( )डीएलबी/20/9523

दिनांक: 11-11-2021

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक 815-828 दिनांक 22.01.2020 द्वारा पूर्व नियुक्त श्री पंकज शर्मा अधिवक्ता पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा को पुनः नगर पालिका पिलानी के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालयों में प्रभावी पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार एतत् द्वारा नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर पालिका पिलानी से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(दीपक मन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)( )डीएलबी/20/9524-9531

दिनांक: 11-11-2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिसाषी अधिकारी, नगर पालिका पिलानी।
06. श्री पंकज शर्मा अधिवक्ता पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा मार्फत नगर पालिका पिलानी।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी